न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/46/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/113

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री राजेन्द्र चेयरवाल, नि.''टैन्ट विला'' बारलावास, राजगढ (अलवर)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 17.02.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 07.3.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 17.01.2022 के द्वारा प्रत्यर्थी कार्यालय से भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा वार्ड नं.8 नगरपालिका 'राजगढ बारलाबास के संदर्भ में प्राप्त शिकायत/ज्ञापन/सूचना के संबंध में सूचना/प्रतिलिपि चाही गई थी।
4. उक्त RTI प्रा0पत्र दिनांकः 17.01.2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना अपीलार्थी को प्रेषित नहीं किये जाने के कारण हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. 337–38 दिनांकः 18.02.2022, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपील के तथ्यों का विवेचन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा जवाब नोटिस पत्र सं. 337–38 दिनांकः 18.02.2022 के साथ संलग्न पत्र सं. 270 दिनांकः 09.02.22 के माध्यम से अपीलार्थी को उनके कार्यालय अभिलेख के आधार पर दस्तावेजी सूचना प्रेषित कर विनिश्चय किया जा चुका है जिसके अनुसार वांछित सूचना उनके अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।
7. अस्तु, प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है। अपील, अपीलार्थी **खारिज कर निस्तारित** की जाती है।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. आज दिनांकः 07.03.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(वन्दना खोरवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)